WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जालोर।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक,
आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

फौज. मूल वाद सं. : 334/2014
सी.आई.एस. नंबर : 4203/2014
सी.एन.आर. नंबर : RJJL060001382014

अभियोगी :–	**बनाम**	**अभियुक्तगण :–**
राज. राज्य		मोहम्मद अली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दंड प्रकिया संहिता।

उपस्थित:–

01. श्री बस्तीमल खत्री विद्वान अधिवक्ता परिवादी।
02. अभियोजन अधिकारी–राज. राज्य की ओर से।

–: आ दे श :–

दिनांक : 08.11.2024

01. हस्तगत प्रकरण में परिवादी भैराराम द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत किया कि दिनांक 05.07.2012 को मुलजिम मोहम्मद आबिद अली एक टवेरा गाडी पंजीयन सं. MH 04 ET 1424 को लेकर मुस्तगीस के पास भीनमाल आया। गाड़ी व कागजात बताते हुए कहा कि उसे गाड़ी बेचनी है। जिस पर बाद मोल भाव के सात लाख रूपये में गाड़ी खरीदना तय किया व 5 लाख रूपये उसी वक्त गाड़ी सुपुर्द करने पर दिये गये। उसके बाद दिनांक 06.09.2012 को मुलजिम ने गाड़ी की मूल आर. सी. बुक, बीमा, सेल लेटर, व आर. टी. ओ. मुंबई की N.O.C. व तमाम कागजात लाकर दिये व 2 लाख रूपये रोकड़ मुस्तगीस से लिये। दिनांक 17.08.2013 को मुलजिम आबिद अली ने पुलिस को लाकर बताया कि यह गाड़ी फर्जी कागज तैयार करवाकर मुस्तगीस को दी है। जिस पर पुलिस ने उक्त गाड़ी जब्त कर दी। जिस पर मुस्तगीस ने एक इस्तगासा अदालत श्रीमान् में पेश किया एवं प्र.सू.रि. दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में उक्त बात से स्पष्ट है कि गाड़ी चोरी करने, फर्जी कागज तैयार कर व मुस्तगीस को गाड़ी बेचने में मुलजिम मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद सरदार, निवासी फुलपूरा नगिना वाली मस्जिद, बासनी, जिला नागौर का भी सक्रिय योगदान रहा है। गवाहान के बयानों से

WEB COPY NOT OFFICIAL

उक्त मुलजिम मोहम्मद आबिद अली के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या जुर्म जेर दफा 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 34 भा. द. सं. का अपराध होना पाया जाता है। ऐसे हालात में मुलिजिम मोहम्मद आबिद अली के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाने का माकुल वजुहात है।

अतः में निवेदन किया कि मुलजिम मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद सरदार, निवासी फुलपूरा नगिना वाली मस्जिद, बासनी, जिला नागौर के विरूद्ध जुर्म जेर दफा 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 34 भा. द. सं. के तहत प्रसंज्ञान लिया जाने का आदेश प्रदान करावे।

02. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मोहम्मद आबिद द्वारा भी अपराध कारित किए जाने से उसे तलब कर उसका विचारण किए जाने का निवेदन किया गया।

03. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अन्तिम बहस के प्रक्रम पर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। ऐसी दशा में इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का भी प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संदर्भ में विवेचन किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन प्रकरण के गुणावगुण पर किया गया विवेचन नहीं होगा, साक्ष्य का विवेचन मात्र हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संदर्भ में ही किया जा रहा है। धारा 319 दण्ड प्रकिया संहिता के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Hardeep Singh vs State Of Punjab & Ors, AIR 2014 SC 1400** में यह प्रतिपादित किया गया कि :–

> **110. We accordingly sum up our conclusions as follows:**
>
> **Question Nos.1 & III Q.1 What is the stage at which power under Section 319Cr.P.C. can be exercised?**
>
> **AND Q.III Whether the word "evidence" used in Section 319(1)Cr.P.C. has been used in a comprehensive sense and includes the evidence collected during investigation or the**

WEB COPY NOT OFFICIAL

word "evidence" is limited to the evidence recorded during trial ?

A. In Dharam Pal's case, the Constitution Bench has already held that after committal, cognizance of an offence can be taken against a person not named as an accused but against whom materials are available from the papers filed by the police after completion of investigation. Such cognizance can be taken under Section 193 Cr.P.C. and the Sessions Judge need not wait till 'evidence' under Section 319 Cr.P.C. becomes available for summoning an additional accused. Section 319 Cr.P.C., significantly, uses two expressions that have to be taken note of i.e. (1) Inquiry (2) Trial. As a trial commences after framing of charge, an inquiry can only be understood to be a pre-trial inquiry. Inquiries under Sections 200, 201, 202 Cr.P.C.; and under Section 398 Cr.P.C. are species of the inquiry contemplated by Section 319 Cr.P.C. Materials coming before the Court in course of such enquiries can be used for corroboration of the evidence recorded in the court after the trial commences, for the exercise of power under Section 319 Cr.P.C., and also to add an accused whose name has been shown in Column 2 of the chargesheet.

In view of the above position the word 'evidence' in Section 319 Cr.P.C. has to be broadly understood and not literally i.e. as evidence brought during a trial.

Question No. II Q.II Whether the word "evidence" used in Section 319(1) Cr.P.C. could only mean evidence tested by cross-examination or the court can exercise the power under the said provision even on the basis of the statement made in the examination-in-chief of the witness concerned?

A. Considering the fact that under Section 319 Cr.P.C. a person against whom material is disclosed is only summoned to face the trial and in such an event under Section 319(4) Cr.P.C. the proceeding against such person is to commence from the stage of taking of cognizance, the Court need not wait for the evidence against the accused proposed to be summoned to be tested by cross-examination.

<u>Question No. IV Q.IV What is the nature of the satisfaction required to invoke the power under Section 319 Cr.P.C. to arraign an accused? Whether the power under Section 319 (1) Cr.P.C. can be exercised only if the court is satisfied that the accused summoned will in all likelihood be convicted?</u>

A. Though under Section 319(4)(b) Cr.P.C. the accused subsequently impleaded is to be treated as if he had been an accused when the Court initially took cognizance of the offence, the degree of satisfaction that will be required for summoning a person under Section 319 Cr.P.C. would be the same as for ? framing a charge. The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of such trial that materials are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial - therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different.

Question No.V Q.V Does the power under Section 319 Cr.P.C. extend to persons not named in the FIR or named in the FIR but not chargesheeted or who have been discharged?

A. A person not named in the FIR or a person though named in the FIR but has not been chargesheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 Cr.P.C. provided from the evidence it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial. However, in so far as an accused who has been discharged is concerned the requirement of ?Sections 300 and 398 Cr.P.C. has to be complied with before he can be summoned afresh.

04. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण में परिवादी मोहम्मद खां द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त मोहम्मद अली के विरूद्ध ही परिवाद दिनांक 18.10.2013 को प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. में प्रेषित किया गया। बाद अनुसंधान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मोहम्मद अली के विरूद्ध ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्वयं परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह कहीं वर्णित नहीं किया गया कि मोहम्मद आबिद द्वारा मोहम्मद अली को गाड़ी बेचने के लिए कहा गया हो। इसके साथ ही इसके साथ ही दौराने अनुसंधान परिवादी मोहम्मद खां द्वारा दिए गए पुलिस बयान में भी ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया गया कि मोहम्मद आबिद द्वारा मोहम्मद अली को गाड़ी बेचने के लिए कहा गया हो। परिवादी मोहम्मद खां द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों में प्रथम बार मोहम्मद आबिद द्वारा गाड़ी मोहम्मद

अली द्वारा लाकर दिए जाने, मोहम्मद आबिद बहनोई होने व पांच लाख रूपए मोहम्मद आबिद को दिए जाने का कथन किया गया हैं। इसके साथ ही स्वयं परिवादी की साक्ष्य के अनुसार वाहन टवेरा के सम्बन्ध में इकरारनामा मोहम्मद अली द्वारा ही निष्पादित किया गया हैं। उक्त इकरारनामा में भी मोहम्मद आबिद के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं और ना ही ऐसा कोई उल्लेख किया गया हैं कि पांच लाख रूपए की राशि मोहम्मद आबिद को दी गई हो। परिवादी के परिवाद में भी ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं कि मोहम्मद आबिद को पांच लाख अदा किए गए हों। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण गवाह दिलदार, अबसे खां व शरीफ मोहम्मद द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गई कि आबिद अली द्वारा भी परिवादी मोहम्मद खां के साथ कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से आबिद अली के विरूद्ध आरोपित अपराध में प्रसंज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर खारिज किए जाने योग्य पाया गया हैं। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

–: आदेश :–

05. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार परिवादी मोहम्मद खां की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।

06. आदेश आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।